International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 19-05-2022, Accepted: 03-06-2022, Published: 20-06-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 113-118

उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की राजनीतिः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन सार

Amit Singh Negi[1], Asha Rana[2]
[1] Research Scholar, Deparment of Political Science, Radhey Hari Govt. P.G College, Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, India
[2] Head of Deparment, Deparment of Political Science, Radhey Hari Govt. P.G College, Kashipur, Udham Singh Nagar, Uttarakhand, India

सारांश

उत्तराखण्ड राज्य का अस्तित्व शुरूआत से ही अलग इकाई के रूप में रहा है। राज्य की भौगोलिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं के कारण इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर नियोजन करने की जरूरत रही है, क्योकि उत्तराखण्ड राज्य की संम्भावनाओं, संसाधनो व समस्याओं को क्षत्रीय नियोजन की नीति व रिती के मददेनजर बेहतर तरीके से आंकलन किया जाना आवश्यक है। इस अंचल के विकास की समस्याएं मैदानी भागो में अधिक जटिल व भिन्न है। इन सभी मुददो के मददेनजर पृथक राज्य आन्दोलन की मांग आजादी के बाद से ही की जाती रही। प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड राज्य की पृथक राज्य की मांग से राज्य निर्माण होने के बाद होने वाले राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मूल शब्दः उत्तराखण्ड, क्षेत्रीय नियोजन, सामाजिक, आर्थिक, संसाधन

प्रस्तावना

उत्तराखंड राज्य निर्माण की राजनीति

ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टि से कुमाऊँ और गढ़वाल नाम पर्याप्त आधुनिक है। पहाड़ी में कुमु तथा उर्दू में कुमाऊँ नाम सन् 1563 तक काली (शारदा) नदी के दोनों ओर स्थित चन्द्र वंश के पहाडी राजाओं के राज्य के लिए ही प्रयुक्त होता था। कुमाऊँ नामकरण के लिए अधिकांश इतिहासकारो ने एटकिंसन लिखित हिमालियन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नार्थ वैस्टर्न प्रोविसज नामक ग्रन्थ में उल्लेख की गयी जनश्रुति को दोहराया है।

जहां तक गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का प्रश्न है विचारकों में इसे लेकर भी मतभेद रहे है, गढ़वाल नाम भी औरंगजेब के समय तक भी प्रचलन में नहीं आया था। डा0 बर्नियर ने अपनी पुस्तक महान मुगल’ में तत्कालीन भारत का जो मानचित्र दिया है उसमें गढ़वाल को श्रीनगर लिखा है। गढ़वाल नामकरण का कारण अधिक स्पष्ट नहीं है। प्राचीन भारत के पहाड़ी गणराज्यों में एक गणराज्य गणेश्वर कहा गया है । गढ देश मूलतः गण देश रहा होगा । समुद्रगुप्त के पूर्वोक्त इलाहाबाद वाले लेख में भी पर्वतीय नरेश को गणेश्वर कहा गया है। गढ़वाल के लिए गढ़राज्य व गणराज्य दोनों शब्दों का उल्लेख मौलाराम रचित ग्रन्थों में भी मिलता है। श्री बद्रीदत्त पाण्डे मानते हैं कि विभिन्न समयों में विभिन्न राज्यों के अन्तर्गत इसके विभिन्न नामों के आधार पर यह प्रदेश कभी मेरु प्रांत के अन्तर्गत रहा हो । रामायण के समय इसे उत्तर कौशल कहा जाता था। महाभारत में यह उत्तरकुण्ड नामक राज्य के अन्तर्गत था । इसे उत्तराखण्ड भी कहा गया है। उत्तराखंड, बड़े पैमाने पर पहाड़ी होने के नाते, मैदानी इलाकों से ऐतिहासिक रूप से कुछ हद तक कट गया था। मुगल काल के दौरान, मैदानों में ”मुस्लिम शासन” ने पहाड़ियों को एक अलग तरीके से प्रभावित किया। मैदानी इलाकों के कई निवासी, जो किसी न किसी कारण से विदेशी शासन के तहत घुटन महसूस करते थे, उन पहाड़ियों की ओर चले गए, जिन्हें आमतौर पर दुर्गम माना जाता था, जिससे उन्हें अपनी संस्कृति और धार्मिक संस्कारों को बनाए रखने में मदद मिली। पलायन करने वालों में से अधिकांश उच्च क्षत्रिय–राजपूत वर्गों के थे, इस प्रकार पहाड़ियों में उच्च जातियों के उच्च प्रतिशत को समझाते थे। अधिकांश मुगलों के दिनों से ही मैदानी इलाकों के शासक, जिन्होंने

कई गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की, वे केवल इतना ही कर सकते थे। स्थानीय शासक, जिन्होंने कई बार मैदानी इलाकों से ’सम्राट’ की अधीनता स्वीकार कर ली, क्षेत्रीय स्तर पर काफी स्वतंत्रता का आनंद लिया, उनकी स्वीकृति के वल औपचारिक रूप से राजकोष में योगदान करने के लिए सीमित थी। राज्य काफी हद तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। आजादी के समय, जल्द ही संयुक्त प्रांत का गठन करने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में से एक टिहरी के राजकुमार थे, जिन्होंने अंततः संयुक्त प्रांत में शामिल होने के लिए बहुत बहस की हालाँकि, अखंड भारत में प्रवेश ने पहाड़ी लोगों को पूरी तरह से यूपी के मैदानी इलाकों में आत्मसात नहीं किया। पहाड़ियों और मैदानों के बीच विशिष्टता की भावना बनी रही।

यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य का अस्तित्व शुरुआत से ही अलग इकाई के रूप में रहा है। राज्य की भौगोलिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं के कारण इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक से स्थानीय स्तर पर नियोजन करने की जरूरत रही है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य की सम्भावनाओ, संसाधनों व समस्याओ को क्षेत्रीय नियोजन की नीति व रीति के मद्देनजर बेहतर तरीके से आंकलन किया जाना आवशयक है। ब्रिटिश शासकों नेइस तथ्य को पहचाना था। यही कारण है कि उन्होने प्रारम्भ से ही इस क्षेत्र के लिए अलग शासन और प्रशासन की व्यवस्था की थी। हालांकि उनका मूल उद्देष्य अपने

औपनिवेषिक हितों को पूरा करना था। एक लम्बी अवधि तक ब्रिटिश कुमाँऊ जिसमें तत्कालीन टिहरी रियासत को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तराखण्ड शामिल था। वह नॉन रेग्यूलेशन प्रांत रहा। इस क्षेत्र पर शुरूआत से ही राजनीतिक क्षेत्रीकरण के लिए भूमिका बनती रही है। ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के उपरान्त भारत में समय समय पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और हर बार उत्तराखण्ड की उपेक्षा की गई।

भारत की स्वतन्त्रता के बाद उत्तराखण्ड के लिए कोई ऐसा विशेष कार्य नही हुआ, जिससे वहाँ की गरीबी दूर हो, आर्थिक पक्ष मजबूत हो और लोगों का रहन सहन ऊँचा हो सके । भौगोलिकता का तत्त्व भी इस सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस अंचल के विकास की समस्याएं मैदानी भागों से अधिक जटिल व भिन्न हैं इन सभी मुद्दों के मद्देनजर पृथक राज्य के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सन 1979 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ0 देवीदत्त पन्त की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कान्ति दल "उकान्द" नामक एक संगठन का जन्म हुआ। इस संगठन का उद्देश्य पृथक राज्य का निर्माण करना था। जिसके लिए दल भारत के प्रजातान्त्रिक व्यवस्था के तहत् प्रजातान्त्रिक तौर तरीके से प्रयास करने को तत्पर थी। दल की तत्परता एवं संघर्ष के परिणामस्वरूप ही 9 नवम्बर, 2000 को पृथक राज्य का गठन हुआ। उत्तराखण्ड राज्य उत्तराखण्ड वासियों के ऊँचे सपनों, आशाओं, आकांक्षाओ और उम्मीदों के साथ बना। राज्यवासियों ने कई दशकों से देखे गये व बुने गये सपनों को संरक्षित व पोषित करने के साथ–साथ एक समर्थ, सम्पन्न व उन्नत उत्तराखण्ड राज्य की परिकल्पना को साकार बनाया। इस सब परिकल्पनाओ को साकार करने में तथाकथित रूप से पिछड़े हुए उन कतिपय क्षेत्रों का विशेष विकास करना भी था। जहाँ के राज्यवासी अभी भी आवागमन, चिकित्सा, शिक्षा, संचार साधन आदि के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। इसके लिए एक परिपक्व क्षेत्रीय राजनीतिक दल की जरूरत थी।

उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद राजनीतिक मुद्दे

वैसे तो अलग पहाडी राज्य की मांग आजादी के बाद से ही की जाती रही परन्तु 1990 के बाद इस आंदोलन ने अपने स्वरूप को अधिक जुझारू, सक्रिय, एवं प्रचंड किया यह मांग हमेशा से ही 'पहाड़ केन्द्रित विकाश' के मॉडल को लेकर की जा रही थी। 10 वर्षों के प्रशासनिक और पुलिसिया अत्याचार के बाद अलग राज्य, की जो मांग पूरी हुईं उसने राज्य में अनेक उन राजनीतिक मुद्दों को जन्म दिया जिनके लिए ना कभी आंदोलनकारियों ने सोचा ना कभी नीति नियंताओं ने आज बीस वर्षों बाद भी वे मुद्दे उन उम्मीदों पर ज्यादा हावी है जिनके लिए लोग बड़ी संख्या में शहीद हुए थे। इस बीच राज्य में बारी–बारी से दोनों मुख्य दलो को शासन करने का मौका मिला जिसका लाभ उठाने में दोनों ही समान रूप से असफल रहे है।

स्थाई राजधानी पर राजनीति

राज्य निर्माण के बीष वर्षों बाद भी स्थाई राजधानी के ऊपर राज्य में हो रही राजनीति ना सिर्फ राज्य की जनता बल्कि उन संभावित निवेशकों को हलकान में रखे हुए है जो राज्य को आगे बढ़ते देखने के लिए अलग राज्य की मांग के लिए एक जुट हुए थे। कुमाऊं की दुधाटोली पहाड़ियों के बगल में स्थित गैरसैंण का महत्व राज्य आंदोलन के साथ ही शुरू हो जाता है जिसे गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र का केंद्र बिंदु माना जाता है यही वह क्षेत्र है जो दोनों भागों को एक करता है जहां की संस्कृति, भाषा और समाज में दोनों भागों का समावेशन पाया जाता है स यह वर्ष 1992 की बात है। जब उत्तराखंड क्रांति दल के तत्कालीन अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने घोषणा की कि गैरसैंण पहाड़ी राज्य की राजधानी होगी, जिसके लिए वह एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए 2020 के बजट सत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण में स्थाई राजधानी पर हो रही राजनीति को कुछ हद तक स्थिल करने का प्रयास किया है भविष्य में स्थायी राजधानी के रूप में गैरसैण की उपयुक्तता के बारे में तकनीकी और अन्य पहलुओ पर एक नज़र डालने का समय है। इसके लिए सबसे विस्तृत मूल्यांकन न्यायमूर्ति बीरेंद्र दीक्षित आयोग द्वारा किया गया था, जिसने तकनीकी और विशेषज्ञों की मदद से इस संबंध में एक अध्ययन किया था। अध्ययन कई वर्षों तक चला और भूवैज्ञानिकों, नगर नियोजन, अभियंताओं, वास्तुकारों आदि की मदद से कई रिपोर्टें तैयार की गईं। आयोग की अंतिम रिपोर्ट 2010 में सरकार को सौंपी गई चुकी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी के लिए अनुपयुक्त माना गया इस लिए किसी भी सरकार या राजनीतिक दल ने सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट पर चर्चा करने की पहल नहीं की, इसका कारण राजनीतिक नुकसान से बचना था। इसलिए, रिपोर्ट को लंबे समय तक गुप्त रखा स यह ध्यान देने योग्य है कि, अपनी विस्तृत रिपोर्ट में, कुल 268 प्रस्तावों में से 126 गैरसैंण के स्थाई राजधानी के पक्ष में थे। अब जब बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी और कांग्रेस ने इसे स्थायी बनाने का वादा किया है, तो सवाल यह भी उठता है कि क्यो सरकार और विपक्षी दल कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले सार्वजनिक रूप से जस्टिस दीक्षित आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करना चाहेंगे? गैरसैंण के समर्थन में प्रमुख तर्क यह था कि जनता की भावना इसके पक्ष में थी, आयोग ने 17 प्रमुख आधारों का उल्लेख किया है, जिस पर वह गैरसैंण को पूंजी के रूप में अनफिट मानता है। इसी समय, रिपोर्ट में केवल 4 तर्कों का उल्लेख किया गया है जो पर्वतीय राज्य की संभावित राजधानी के रूप में गैरसैंण का समर्थन करते हैं। उत्तराखंड की संभावित राजधानी के रूप में गैरसैंण के पक्ष में तर्क हैं–

- चमोली के पूरे जिले से गैरसैंण की सुगमता,
- स्थानीय निवासियों के पुनर्वास की न्यूनतम आवश्यकता
- स्थल का केंद्रीय स्थान
- गैरसैंण के पक्ष में जन भावनाएं ।

इसके साथ साथ आयोग ने गैरसैंण के विरोध में जो तर्क दिए है वो निम्न है –

- किसी भी हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन के लिए बहुत खराब परिवहन पहुंच
- निकटता की कमी, खराब सड़क और रेल कनेक्टिविटी का अभाव
- राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से अधिक दूरी

- बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता
- स्थाई रूप सेअपर्याप्त पानी की उपलब्धता (बहुत बड़ी आबादी को बनाए रखने के लिए),
- भौतिक विकास के लिए प्रतिकूल मिट्टी की असर क्षमता
- क्षेत्र में अत्यधिक तेज ढलान सहित प्रतिकूल स्थलाकृति और हाइड्रोस्कोपिक स्थितियां
- भूकंप के लिए भेद्यता और बाढ़ क्षेत्रों से निकटता
- प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां
- सार्वजनिक सुविधाओ की कमी जैसे कि बिजली, पानी की आपूर्ति और सीवेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन
- बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र
- अंतरराष्ट्रीय सीमा से निकटवर्ती स्थान की वजह से रणनीतिक रूप से असुरक्षित होना।

यह बताया जा सकता है कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं और विस्तार को ध्यान में रखते हुए आयोग ने भूगर्भीय कारकों, टाउन प्लानिंग, मौजूदा और संभावित बुनियादी सुविधाओं, पानी की उपलब्धता, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं की स्थिति और भूमि की उपलब्धता के मापदंडों पर कम से कम चार प्रमुख स्थानों का विस्तृत अध्ययन किया था। अध्ययन किए गए स्थानों में देहरादून, ऋषिकेश (प्क्व्स्), चमोली, भरतसैन–ग्यासैन, काशीपुर (उधम सिंह नगर) और रामनगर (पौड़ी जिला) शामिल थे। यदि भविष्य में गैरसैंण राजधानी बन जाता है, तो भविष्य के विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता नहीं है, और वहां एक बड़ा हवाई अड्डा बनाना आसान नहीं होगा। सुगम रेल लाइन पहुंच प्रदान करना भी आसान नहीं होगा। भारी यातायात के दबाव को झेलने के लिए सड़कों को भी पर्याप्त रूप से चौड़ा करना होगा। जहां तक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने का सवाल है, हर साल एक से दो महीने की अवधि के लिए सरकारी व्यवसाय को गैरसैंण में स्थानांतरित करना संभव है। बावजूद इन चुनौतियों के स्थाई राजधानी का मुद्दा भविष्य में भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करता रहेगा।

राज्य से पलायन पर राजनीति

उत्तराखण्ड में जहाँ 66ः से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों (पहाड़ी जिलों में 80ः से अधिक) में रहती है, उत्तराखण्ड के हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में तेजी आई है, परन्तु पर्वतीय जिले अधिक विकसित नहीं हो पाये हैं। पहाड़ी इलाकों में भूमि धारण बहुत ही कम और खंडित हैं। पहाड़ी इलाकों में केवल 10 प्रतिशत भूमि सिंचित है। पहाड़ों में अधिकांश ग्रामीण आबादी या तो निर्वाह कृषि पर जीती है या रोजगार के लिए देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर जाती है। देश के आजादी के इतने वर्षो बाद भी पहाड़ के व्यक्तियों का मुख्य पेशा कृषि ही बना हुआ है वस्तुत अब यह कृषि भी जीविकोपार्जन के स्तर तक भी नहीं बची है। बिजली, सड़क और सिंचाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ी जिलों में विकास कम हुआ है। बुनियादी ढांचे में अंतर – जिला असमानता पर्वतीय और मैदानों के बीच आय और आजीविका के मामले में असामनता को बढ़ाती है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में गैर–कृषि पर आय निर्भरता काफी हद तक बढ़ गई है। जैसा की पहाड़ के लोगो में आम धारणा है कि 'पहाड़ खाली हो रहे है'ये कुछ और नहीं पहाड़ों से पलायन के उस दर्द को बया करता है कि यहां के जन मानश सुख सुविधाओ की अभाव में अन्य राज्यो में पयालम कर चुके है राज्य के पहाड़ी जिलों के ग्रामीण इलाकों से पलायन, एक बड़ी समस्या बन गयी है, जिसके परिणाम स्वरूप कई निर्वासित बस्तियां या गाँव हैं, जिनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। पलायन की समस्या से निपटने के लिए पहाड़ी गांवों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ग्राम्य विकास और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के लिए प्रमुख घटक में से एक माना गया है, विशेष रूप से उन पहाड़ी जिलों में, जहां इन क्षेत्रों में 80ः से अधिक आबादी रहती है। ग्रामीण आबादी काफी हद तक उनकी आजीविका के लिए कृषि और श्रम पर निर्भर रहती है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना इन क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने के लिए मुख्य भूमिका निभा सकता है । मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ये भी ग्रामीण पलायन से प्रभावित है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या आर्थिक असमानताओं के साथ–साथ कई अन्य चुनौतियां भी प्रकट कर रही है, जिसमें कृषि में गिरावट, गिरती ग्रामीण आय और एक तनाव ग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रमुख है। पलायन के संदर्भ में नीति नियंताओ की अब तक की सबसे बड़ी सफलता एक विशेष पलायन आयोग के गढ़न तक सीमित रह गई है इसके अलावा उनके पास ना कुछ बताने को है और ना कुछ करने को उत्तराखंड सरकार ने समस्या के सभी पहलुओं की जांच करनेके लिए अगस्त 2017 में ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का गठन किया है, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए एक दृष्टिकोण विकसित करता है; सरकार को ज़मीनी स्तर पर बहु–क्षेत्रीय विकास पर सलाह देना जो जिला और राज्य स्तरों पर एकत्रित होगा और विभिन्न अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सिफारिशेंभी प्रस्तुत करेगा। 1.2 प्रवास करने वाले लोगो का विभाजन–युवा, मध्यम आयु वर्ग के लोग जिनके परिवार है, वरिष्ठ सेवानिवृत्त व्यक्ति।

तालिका 1: स्रोतः पलायन आयोग रिर्पोट

ग्राम पंचायतो से जिला और आयु–वार प्रवासन की स्थिति (प्रतिशत) में			
जिला	**25 वर्ष की आयु से कम**	**26 से 35 वर्ष के बीच**	**35 वर्ष की आयु से अधिक**
उत्तकाशी	30.68	36.56	32.77
चमोली	26.71	43.49	29.79
रूद्रप्रयाग	28.97	41.83	29.2
टिहरी गढवाल	29.26	40.92	29.82

देहरादून	38.41	34.47	27.12
पौडी गढवाल	29.23	41.67	29.1
पिथौरागढ	28.32	42.58	29.1
बागेश्वर	33.92	42.1	23.97
अल्मोडा	29.19	42.22	28.59
चम्पावत	25.23	45.49	29.29
नैनिताल	29.48	44.57	25.96
उधम सिंह नगर	16.66	43.34	40
हरिद्वार	13.99	52.79	33.22

तालिका में सभी जिलों के 26 से 35 आयुवर्ग में अधिकतम प्रतिशत प्रवास दिखाया गया है। राज्य से पलायन करने वाले 26 से 35 वर्ष की आयु के लोगों का औसत प्रतिशत 42.25 है, पलायन आयोग की रिपोर्ट में पहचान किए गये मुख्य कारणों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में दी गयी हैः–

तालिका 2: स्रोतः पलायन आयोग रिर्पोट

जिला	रोजगार	चिकित्सा सुविधाओं	शिक्षा	आधारभूत संरचन	खराब कृषि उपज	करने वाले परिवार का अनुसरण	जानवरो द्वारा कृषि उपज का	अन्य
उत्तरकाशी	41.77	6.04	17.44	2.29	7.14	2.1	4.04	19.17
च्मोली	49.3	10.83	19.73	4.93	4.73	2.51	3.09	4.87
रूद्रप्रयाग	52.9	8.64	15.67	4.43	4.27	3.26	5.11	5.72
टिहरी गढवाल	53.43	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	4.26	5.52
छेहरादून	56.13	6.33	12.5	1.2	2.08	1.4	1.65	18.7
पौडी गढवाल	52.58	11.26	15.78	3.03	5.35	2.53	6.27	3.21
पिथौरागढ	42.81	10.13	19.52	4.97	4.66	2.36	4.08	11.48
बागेश्वर	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	3.42	23.65
अल्मोडा	47.78	8.61	11.75	3.81	8.37	2.68	10.99	6.02
चम्पावत	54.9	6.67	10.24	5.46	6.31	4.3	6.65	5.46
नैनिताल	53.7	7.79	10.37	4.96	4.9ʹ4	2.1	6.38	9.76
उधम सिंह नगर	65.63	4.27	3.52	0.6	0.38	5.4	2.6	17.6
हरिद्वार	76.6	1.62	2.73	0.05	0.64	1.69	0.80	15.85

राज्य से पलायन करने वाले कुछ लोगो में से, रोजगार की खोज के कारण अधिकतम 50ण16ः लोग पलायन कर गए। इसके बाद, 15ण21ः लोगो के प्रवास के साथ शिक्षा पलायन के कारणो में दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तराखंड से पलायन के पुश ओर पुल दोनों ही प्रभाव काम कर रहे है आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च जीवन स्तर की आश राज्य से पलायन को बढ़ावा दे रहा है जिसमें सबसे प्रमुख आजीविका की खोज को बताया गया है अतः सरकारों द्वारा को भी वादे किए जा रहे हो वे सभी तब तक खोखले माने जाएंगे जब तक लोगो को रोजगार उनकी दहलीज पर नहीं प्राप्त हो जाता।

द्वि–दलीय प्रभुत्व की राजनीति

बहुदलीय लोकतंत्र के बावजूद उत्तराखण्ड द्विदलीय प्रभुत्व की राजनीति की ओर करवट ले चुका है जहां उत्तराखंड आधारित क्षेत्रीय दल की अनुपस्थिति मे क्षेत्रीय चुनावी मुद्देहावी नहीं हो पाते है राज्य की राजनीति से उत्तराखंड क्रांति दल जैसे क्षेत्रीय दलों के अवसान ने उत्तराखड के संभावित विकाश के मुद्दों को अंधेरे में धकेल दिया है उदाहरण स्वरूप 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के लिए मुद्दों के रूप में सर्जिकल स्ट्राइक, नोट बंदी, राम मंदिर, कश्मीर की अशांति जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर मतो की माग की जा रही थी स जब तक राज्य की राजनीति क्षेत्रीय चुनावी मुद्दों से भटकते रहेंगे तब तक पहाड़ी विकास मॉडल या उत्तराखंडी विकास मॉडल के कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

चिंता की बात सिर्फ इतनी ही नहीं है विडंबना यह है कि क्षेत्र से बढ़ते पलायन और वहां मतदाताओ की संख्या में गिरावट के मद्देनजर पहाड़ धीरे–धीरे राज्य में अपना राजनीतिक महत्व खो रहे हैं। बढ़ते पलायन की वजह मत समीकरण में गंभीर बदलाव लाएगा जहां पहाड़ी क्षेत्र को विधानसभा की सीटों के सीमांकन के बाद नुकसान होने की संभावना है वहीं तराई के क्षेत्र को अधिक लाभ होगा जिसका परिणाम पहाड़ के मुद्दों का हमेशा के लिए अनसुलझा रहना तय है। जैसा कि निम्न चित्र में संपूर्ण उत्तराखंड की विधानसभा सीटों को जिलेवाइज देख सकते है। तराई बेल्टों के अंतर्गत आने वाले हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में

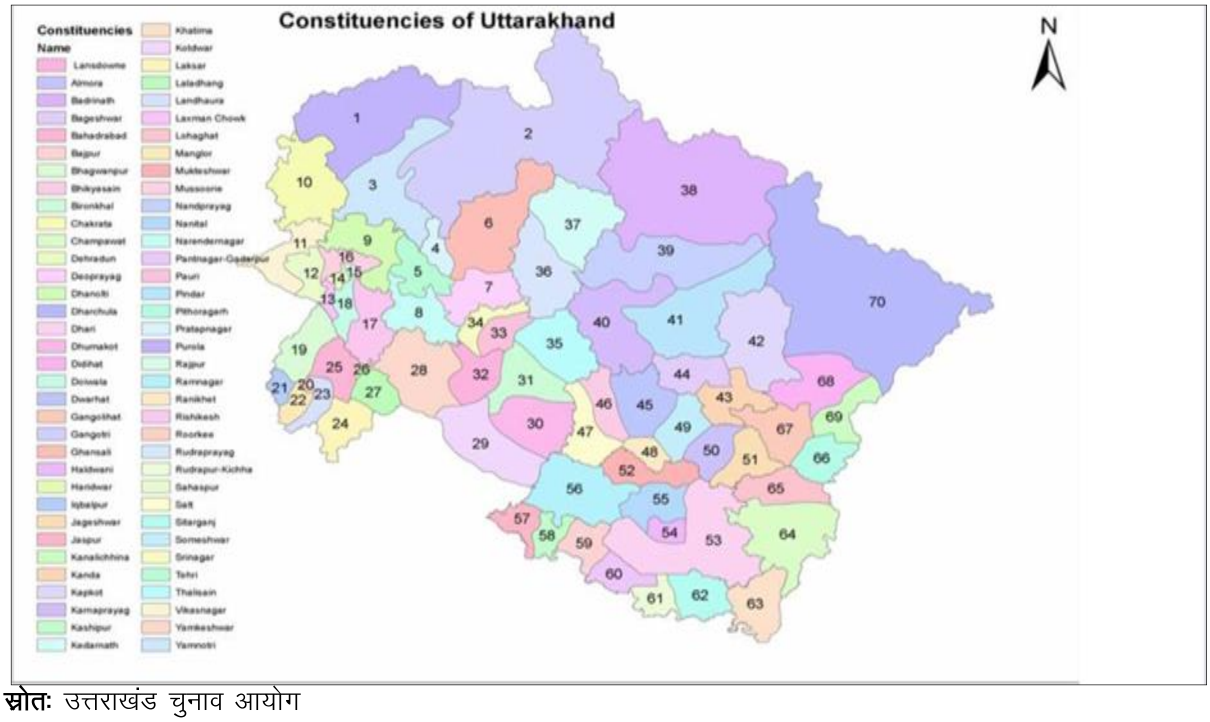
Constituencies of Uttarakhand
N
Constituencies Name
Lansdowne
Almora
Badrinath
Bageshwar
Bahadrabad
Bajpur
Bhagwanpur
Bhikyasain
Bironkhal
Chakrata
Champawat
Dehradun
Deoprayag
Dhanolti
Dharchula
Dhari
Dhumakot
Didihat
Doiwala
Dwarhat
Gangolihat
Gangotri
Ghansali
Haldwani
Haridwar
Iqbalpur
Jageshwar
Jaspur
Kanalichhina
Kanda
Kapkot
Karnaprayag
Kashipur
Kedarnath
Khatima
Kotdwar
Laksar
Laladhang
Landhaura
Laxman Chowk
Lohaghat
Manglor
Mukteshwar
Mussoorie
Nandprayag
Nanital
Narendernagar
Pantnagar-Gadarpur
Pauri
Pindar
Pithoragarh
Pratapnagar
Purola
Rajpur
Ramnagar
Ranikhet
Rishikesh
Roorkee
Rudraprayag
Rudrapur-Kichha
Sahaspur
Salt
Sitarganj
Someshwar
Srinagar
Tehri
Thalisain
Vikasnagar
Yamkeshwar
Yamnotri

स्रोतः उत्तराखंड चुनाव आयोग

चित्र 1

क्रमशः 11 और 9 सीटेंहैं। नैनीताल की तराई बेल्ट की चार सीटों के अलावा, पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार सीट भी तराई क्षेत्र में मानी जाती है। देहरादून जिले की 10 विधानसभा सीटों में से अधिकांश मैदानी और तराई क्षेत्रों में हैं। इसलिए, पूर्वमुख्यमंत्री हरीश रावत की दो सीटों, किच्छा (उधमसिंह नगर) और हरिद्वार (ग्रामीण) ओर वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सीट डोईवाला से चुनाव लड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार राज्य के नीति नियंता पहाड़ की सीट से उन्मुख हो कर मैदानी सीटों से चुनाव मैदान में उतरते है।

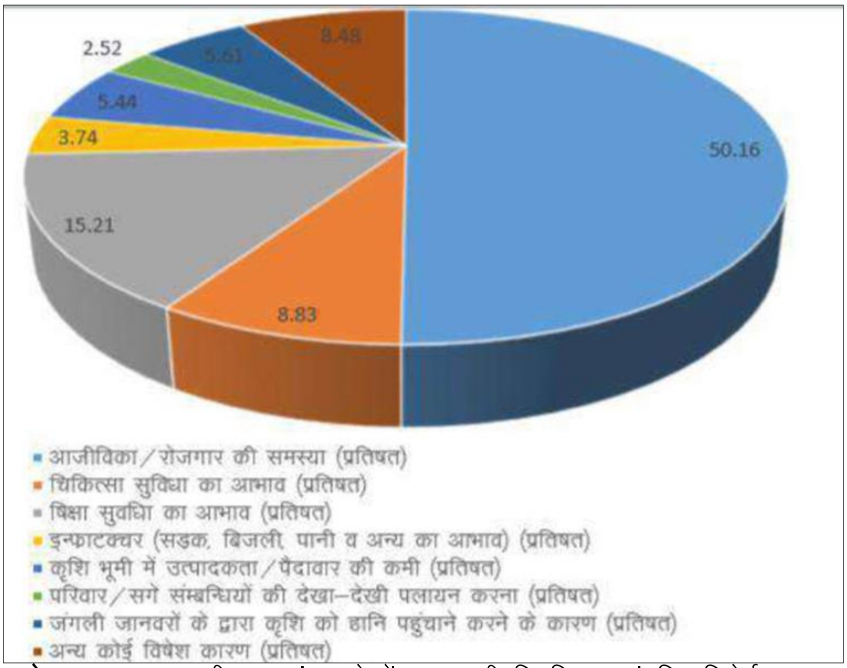

स्त्रोतः उत्तराखण्ड की ग्राम पंचायतो में प्रवास की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट।

चित्र 2

पर्यावरण एवं विकास की राजनीति ओर ग्रीन बोनस की मांग

केंद्र सरकार से अधिक अनुदान की माग के लिए उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यो के समूह ने ग्रीन बोनस के रूप में अपने पर्यावरण हितेशी नीति की एवज में बजटीय अनुदान की मांग को पुनः उठाया है। इस प्रकार का पहला सम्मेलन 2020 में मसूरी में हुआ था जहां ग्रीन बोनस के साथ साथ हिमालय राज्यो ने विशेष मंत्रालय की मांग भी की जो की इन राज्यो की संवेदनशीलता और विकाश के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण करेगा। उत्तराखंड कई वर्षों से केंद्रीय

बजटीय प्रावधानों के तहत, सकारात्मक प्रतिक्रिया ना मिलने के बावजूद लगभग 5000 करोड़ रुपये के ग्रीन बोनस की मांग कर रहा है। यही हाल हिमाचल प्रदेश और अन्य हिमालय राज्यों का है जो राष्ट्र को 'ईको सेवाएं' प्रदान करतेहैं। इसके अलावा, संघ के अन्य राज्य भी मानते हैं कि ये राज्य अनेक तरीकों से बहुमूल्य और अद्वितीय योगदान देते हैं, जिन्हें विशेष मुआवजे की जरूर को पूरा किया जाना चाहिए। ग्रीन बोनस की मांग उस त्याग के लिए है जिसकी वजह से उत्तराखंड जैसे राज्य पर्यावरण संरक्षण की खातिर अपने आर्थिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे है देश के वन क्षेत्र के दुगने का योगदान करने वाले ये राज्य वनसंरक्षक कानून, पर्यावरण संरक्षण कानून कि धाराओ ंसे बंधे होने के कारण अपने लिए आर्थिक विकाश की राह खोजने में असफल रहे है।

निष्कर्ष

अतः पहचान के लिए व विकास की उत्कण्ठा के लिए पृथक् व छोटे राज्यों के अस्तित्व की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस हेतु सर्वसम्मति से एक नवीन राज्य पुर्नगठन आयोग की स्थापना अनिवार्य प्रतीत होती है। जिसके अन्तर्गत सांस्कृतिक, आर्थिक व प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर प्रदेशों का पुर्नगठन हो। तभी राष्ट्र की अखण्डता कायम होगी और कुछ हद तक हिंसक आन्दोलनों से देश उभर पायेगा। क्षेत्रीयतावाद व राष्ट्रवाद में सह अस्तित्व सम्भव है। विकास के पहाड़ी मॉडल की अनुपलब्धता को राज्य के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। राज्य के नीति नियंता सभी के लिए समान विकाश के आर्थिक मॉडल से पहाड़ों के विकाश की भाग्य रेखा लिखना चाह रहे है जो कि असफल प्रयास के रूप में अधिक उभर रहा है। राज्य की अधिकाश जनता की जरूरत से मुंह मोड़ कर चुने गए आर्थिक माडल ने सिर्फ राज्य निर्माण के बाद बढ़ते पलायन, भूतिया गावों, बेरोजगारी, गरीबी, आदि को देखा है।

संदर्भ ग्रंथ

1. Rajni Kothari. politics in India,orient blackswan publication, Delhi.
2. Myron Weiner. party politics in India, Princeton University press, 2017.
3. Subhojit Goswami, "Uttarakhand: as problems pile up, youths see wisdom in migration", Dawn to Earth, 2017.
4. UNI. "Uttaranchal becomes Uttarakhand" tribune (India), 2006.
5. P Kumar. The Uttarakhand movement: construction of a regional identity, New Delhi, Kanishka publishers, 2000.
6. https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/uttarakhand-hillareas-losing-political-importance-as-migration-increases/articleshow// 56989845.cms?
7. utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
8. Economic Survey of Uttarakhand, 2018-19.
9. Interim report on migration status in Uttarakhand's Gram Panchayats, Migration Commission, 2018.
10. https://garhwalpost.in/dixit-commission-did-not-find-gairsain-fit-to-be-capital/

11ण त्रिलोक चंद भट्ट, उत्तराखंड आंदोलनः पृथक राज्य आं दोलन का ऐतिहासिक दस्तावेज, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001

12. Annapurna Nanda. " Patterns of State politics in India " the Indian journal of political science,2015:76(4):901-903 (ISSN NO.0019-5510)